दिनांक 07.07.2021
स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

घर, दुकान व आॅफिस में डेंगू का लार्वा मिलने पर हो रही दंडात्मक कार्यवाही

भिलाईनगर / घर , दुकान या आॅफिस में मच्छर का लार्वा मिलने पर कार्यवाही की जा रही है। डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत बार बार समझाईश के बाद जलजमाव करने या लार्वा मिलने वाले घरो व दुकानों पर जुर्माने की कार्यवाही जारी है। बारिश के सीजन में जलजमाव की वजह मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है , चूंकि डेंगू के मच्छर गंदे पानी के बजाय साफ पानी में पनपता है , इसलिए घर के कूलर , छत पर रखे हुए पुराने बर्तन व टायर तथा दुकान व आॅफिस में जाम पानी की जांच की जा रही है , अगर इन जगहों पर जांच में डेंगू का लार्वा दिखे तो संबंधित पर सीधे दंडात्मक कार्यवाही करने निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। जोन 01 अंतर्गत आकाशगंगा में श्री टेक्नोग्राफिक्स द्वारा दुकान के वेस्ट को खुले में जलाते हुए पाए जाने पर 1500 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। डेंगू से बचाव के लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर डेंगू पर वार अभियान छेड़ा है। नागरिकों से घर के आस पास सफाई और पात्रों में भरे हुए पानी की सफाई करने जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी कहीं पर जलजमाव करने जहां लार्वा उत्पत्ति की संभावना हो तथा गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर जुर्माना की कारवाई करने के लिए निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश दिए है। डेंगू , मलेरिया, व फाईलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासनिक सख्ती जरूरी है। वेक्टर जनित रोग डेंगू से बचाव के लिए निगम का अमला घर घर जाकर कूलर का पानी की जांच, टेमिफाॅस छिड़काव किया जा रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाले डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे है। निगम द्वारा गठित टीम द्वारा प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान मच्छर का लार्वा पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही कर रहे है। आज निरीक्षण के दौरान आकाशगंगा में प्रिंटिंग दुकान का वेस्ट को खुले में जलाते हुए पाए जाने पर 1500 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया।

जनसम्पर्क अधिकारी